कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः– 619 / **FP/UK/WATER/41588/2019** देहरादूनः दिनांकः 29 अगस्त, 2020

सेवा में,

अपर सचिव,
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–देहरादून के अन्तर्गत निचली बोराड हरिजन बस्ती पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.054 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास को 15 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

(Online Proposal No- FP/UK/WATER/41588/2019)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पुरोडी, चकराता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत **0.054** है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु 15 वर्षों के लिये लीज पर दिये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग, चकराता एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। प्रस्ताव के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में किसी भी वृक्ष का पातन निहित नहीं है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के परस्तर 4.1 एवं 4.3 में दिये गये दिशा निर्देश के कम में राज्य सरकार इस वन भूमि हस्तान्तरण हेतु अधिकृत है।

अतः प्रस्ताव के प्रपत्र भाग–**I** से भाग–**III** एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–**IV** पर संस्तुति सहित संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।
संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
29/8/20
(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या / **FP/UK/WATER/41588/2019** तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद–देहरादून।
6. प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग, चकराता।
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास, पुरोड़ी, चकराता।

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः–   जनपद–देहरादून के अन्तर्गत निचली बोराड हरिजन बस्ती पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.054 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास को 15 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

(Online Proposal No- FP/UK/WATER/41588/2019)

जनपद–देहरादून के अन्तर्गत निचली बोराड हरिजन बस्ती पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.054 हे0 को 15 वर्षों की लीज दिया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्ताव में **0.054** हे0 आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद–देहरादून/प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग, चकराता एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून के द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। प्रस्ताव के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में किसी भी वृक्ष का पातन निहित नहीं है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary/Tiger Reserve का हिस्सा नही है।

भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग निर्देशिका के परस्तर 4.1 एवं 4.3 में दिये गये दिशा निर्देश के कम में राज्य सरकार इस वन भूमि हस्तान्तरण हेतु अधिकृत है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्य सरकार, स्तर से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

नाम व पदनामः

हस्ताक्षरः

(डी0जे0के0 शर्मा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहरः (डी0 जे0 के0 शर्मा) अ0प्र0व0सं0 एवं नो0 अधिकारी (एफ0सी0), उत्तराखण्ड, देहरादून

तिथि : 29/08/2020

स्थान : देहरादून